संख्या- 1561/96-आयुष -2-2020-10/2015 टी0सी-।

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊःदिनाँक 14 अगस्त, 2020

विषयः उ0प्र0 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सालयों में तैनात संविदा शिक्षकों का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-नि0हो0/81/15/टी0सी0/1895 दिनांक- 30.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के मानकों की पूर्ति हेतु प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में वर्ष 2018 में संविदा पर शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की नियुक्तियां की गयी थी। उक्त संविदा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती में की गयी घोर अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री पतरू राम विश्वकर्मा, आजमगढ़ द्वारा मा0 लोकायुक्त के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया, जिसमें मा0 लोकायुक्त उ0प्र0 के पत्र संख्या-1014- 2019/05/2333, दिनांक 02.09.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या-2931/96-आयुष-2-2019- 01(लो0आ0)/2019, दिनांक 10.10.2019 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच सुश्री वी0 हेकाली झिमोमी, सचिव, चिकित्सा विभाग से करायी गयी।

3- जांच अधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपनी जांच आख्या में उल्लेख किया है कि शासनादेश संख्या-408/96-आयुष-2-2018-10/2015, दिनांक 11.04.2018 द्वारा होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में संविदा के आधार पर नियुक्तियां की गयी। उक्त शासनादेश दिनांक 11.04.2018 मा0 मंत्रिपरिषद् से अनुमोदित नहीं था, जबकि शासनादेश संख्या-573/71-आयुष-2-2015-10/2015 दिनांक 28.5.2015 तथा शासनादेश संख्या-3103/96-आयुष-2-2017-10/2015 दिनांक 27.10.2017

द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोंपरान्त निर्गत किये गये थे। अतः शासनादेश दिनांक 11.04.2018 के आधार पर संविदा पर किया गया चयन नियमानुसार वैध नही है। उक्त के दृष्टिगत जांच अधिकारी द्वारा उक्त संविदा नियुक्तियों को निरस्त करते हुए शासनादेश दिनांक 28.05.2015 के अनुरूप संविदा पर पुनः चयन किये जाने की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। यहां यह भी उल्लेख करना है कि संविदा पर की गयी उक्त नियुक्तियों के सम्बन्ध में लगातार विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त हो रहीं हैं और यह प्रकरण मा0 लोकायुक्त के समक्ष अभी लम्बित है।

4- वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों का नवीनीकरण किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। अतः उक्त के दृष्टिगत तथा संविदा शिक्षकों की नियुक्ति शासनादेश संख्या-573/71-आयुष-2-2015-10/2015 दिनांक 28.5.2015 तथा शासनादेश संख्या-3103/96- आयुष-2-2017-10/2015 दिनांक 27.10.2017 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार नई चयन प्रक्रिया के आधार पर की जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(प्रशान्त त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 2188 /96-आयुष -2-2020-10/2015 T.C.I

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

होम्योपैथी

उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊःदिनॉक 14 अगस्त, 2020

विषयः प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सालयों में तैनात संविदा शिक्षकों का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 408/96-आयुष-2-2018-10/2015, दिनांक 11.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में शिक्षकों के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु निर्देशित किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यकं विचारोपरान्त उपर्युक्त शासनादेश संख्या-408/96-आयुष-2-2018-10/2015, दिनांक 11.04.2018 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय

(प्रशान्त त्रिवेदी)

अपर मुख्य सचिव।

Indra/Main g.o.2020

उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग-2
संख्या- 2190 /96-आयुष-2-2020-01(लो0आ0)/2019
लखनऊः दिनाँकः 13 अगस्त, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

सचिव लोक आयुक्त के पत्र दिनांक 02.09.2019 के साथ संलग्न श्री पतरूराम विश्वकर्मा, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रो0 वी0के0 विमल (सेवानिवृत्त) निदेशक, होम्योपैथी उ0प्र0 लखनऊ के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उनके सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप सर्विस रेगुलेशन के अनुशासानिक कार्यवाही अनुच्छेद-351(ए) में परिवर्तित की जाती है।

(प्रशान्त त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 2190 (1)/96-आयुष-2-2020 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती वी0 हेकाली झिमोमी, सचिव/जॉच अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन। महोदया से यह भी अनुरोध है कि कृपया प्रकरण की जॉच कर जॉच आख्या 01 माह में आयुष अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण की वस्तुस्थिति से मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जा सके।
2. प्रो0 वी0के0 विमल, सेवानिवृत्त निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0बी0एस0 सिंह)
अनुसचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग-2

संख्या- 1178/96-आयुष-2-2020-10/2015 टी.सी.

लखनऊः दिनॉकः 11 अगस्त ~~जुलाई~~, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में तैनात संविदा शिक्षकों के कार्यकाल को अपने स्तर से 11 माह बढ़ाते हुए समस्त प्राचार्यो को अनुबन्ध गठित किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 वी0के0 विमल (सेवानिवृत्त) निदेशक, होम्योपैथी उ0प्र0 लखनऊ के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उनके सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप सर्विस रेगुलेशन के अनुशासानिक कार्यवाही अनुच्छेद-351(ए) में परिवर्तित की जाती है।

(प्रशान्त त्रिवेदी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1178 (1)/96-आयुष-2-2020 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री राज कमल यादव, विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रो0 वी0के0 विमल, सेवानिवृत्त निदेशक, होम्योपैथी उ0प्र0। (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0बी0एस0 सिंह)

अनुसचिव।

महत्वपूर्ण/शीर्षप्राथमिकता

संख्या-1670 /96-आयुष-2-2020-14(शि0)/2017

प्रेषक,

के0बी0एस0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉक 07 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2020

विषयः श्री पतरू राम विश्वकर्मा शिकायतकर्ता मानक/विज्ञापन शासनादेश का उल्लंघन करते हुए विशेष प्रभावशाली श्री विजय पुष्कर की 2006 में कमीशन से प्रवक्ता के पद पर की गयी नियुक्ति को संज्ञान में लेकर सुसंगत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री पतरू राम विश्वकर्मा के पत्र दिनांक 16.06.2020 की छायाप्रति मयसंलग्नक प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संलग्न पत्र में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपनी सुष्पट आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(के0बी0एस0सिंह)
अनु सचिव।

पत्रांक सं० - C.I.B.11/20

अ०-1670/96-आयुष-2-2020

राज्यपाल सचिवालय, उ० प्र०
संख्या जी०पी० 6586 जी०एस०
दिनांक 3/7/20

राजभवन, उ० प्र०
22 JUN 2020
प्राप्त

सेवा में,

श्रीमान् प्रमुख सचिव आयुष महोदय/अअपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय :- **मानक/विज्ञापन, शासनादेश का उल्लंघन करते हुए विशेष प्रभावशाली श्री विजय पुष्कर की 2006 में कमीशन से प्रवक्ता के पद पर की गयी नियुक्ति को संज्ञान में लेकर सुसंगत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में:-**

महोदय,

निवेदन है कि मैं पतरू राम विश्वकर्मा पुत्र स्व0 शिवबदन ग्राम–कटघर सदर, पोस्ट गोपालपुर, जनपद–आजमगढ़ का मूल निवासी सी0आई0बी0 इण्डिया से नेशनल हेड आर0टी0आई0 मनोनीत हूँ। मैं राष्ट्रहित में राष्ट्रीय सोच रखने वाला भारतीय नागरिक हूँ। हमेशा राष्ट्रहित एवं शासन हित में अपराध एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध अपनी कलम के माध्यम से सरकार व शासन कको अवगत करा रहा हूँ।

विनम्र निवेदन है के साथ श्रीमान् को अवगत कराना चाहता हूँ कि श्री विजय पुष्कर ज्वाइण्ट डायरेक्टर एजूकेशन होम्योपैथी उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पद पर तैनात हैं, जिनकी नियुक्ति से लगायत अब तक नियम/शासनादेश एवं मा0 उच्च न्यायालय की अवहेलना पाया गया है, जो निम्नवत् हैं–

1. श्री विजय पुष्कर जी की प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति के समय सरकार व आयुस विभाग द्वारा निर्धारित मानक टिचिंग अनुभव नहीं था, क्यूंकि श्री विजय पुष्कर जी गेस्ट टीचर रहे हैं। गेस्ट टीचर को पूर्णकालीन टीचर की मान्यता नहीं प्राप्त है। जिसके कारण गेस्ट टीचर का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, जिसके सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट रामदरश यादव (डाक्टर) बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य दो रिट नं0 64360/2015 पारित आदेश दिनांक 12.09.2018 के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद डबल बेंच द्वारा पारित आदेश के बिन्दु 11 में "(3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालीन वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा निदेशक राज्य होम्योपैथी सेवायें अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालीन पद का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।" ऐसी स्थिति में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पारित आदेश का पालन सरकार एवं शासन द्वारा न कराया जाना मा0 उच्च न्यायालय एवं शासनादेश का उलंघन व अवहेलना है।
2. श्री विजय पुष्कर जी की प्रथम नियुक्ति प्रवक्ता के पद पर राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल लखनऊ में सन् 2005 में कमीशन से हुई, 2010 में प्रमोशन करते हुए उसी मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल में रिडर बने, पुनः 2014 में सीधी भर्ती प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसीन के पद पर उसी मेडिकल कालेज में हुई, जहॉ पर इनकी प्रथम नियुक्ति प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति नियम व शासनादेश को ताख पर प्रवक्ता के पद पर की गयी थी।
3. केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के वार्षिक इस्पेक्शन में राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल लखनऊ से प्रतिवर्ष भेजी जा रही सूची में श्री विजय पुष्कर जी को प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसीन के पद पर तैनात दिखाया जाता है, जो सी0सी0एच0 के नियमों का उल्लंघन व सी0सी0एच0 को गुमराह करते हुए गलत सूची प्रेषित की जाती है। जबकि श्री विजय पुष्कर जी का वेतन निदेशालय होम्योपैथी से ज्वाइंट डायरेक्टर एजूकेशन होम्योपैथी के पद से वेतन दिया जा रहा है।

प्रमुख सचिव, आयुष

22-6-20

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल
उत्तर प्रदेश

1636/ACS(आयुष)/20
DS(2)

07/07/2020
(आशा राम)
निजी सचिव
अपर मुख्य सचिव
आयुष विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

SO A-2
7-7-2020

8/7/2020

4. श्री विजय पुष्कर जी प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसीन के पद पर नेशनल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल लखनऊ में नियुक्त होने के बाद भी होम्योपैथिक निदेशालय में ज्वाइंट डायरेक्टर एजूकेशन होम्योपैथी के पद पर बने रहने से पठन–पाठन का कार्य बाधित होने के साथ–साथ एक ही व्यक्ति दो स्थान पर दो अलग–अलग पदों पर किस आधार पर तैनात है, यह एक षड्‌यन्त्र, धोखाधड़ी व कूटरचना जैसा स्वेच्छाचारित कार्य है, जो नियम व शासनादेश एवं शासन की मंशा के विरूद्ध है।

5. ज्वाइण्ट डायरेक्टर एजूकेशन होम्योपैथी के पद पर रिडर नियुक्ति किया जाना शासनादेशित होने के बावजूद प्रोफेसर विजय पुष्कर जी को इस पद पर वर्तमान उत्तर प्रदेश की अति लोकप्रिय योगी सरकार कम्युनिटी मेडिसीन को ज्वाइण्ट डायरेक्टर एजूकेशन होम्योपैथी के पद पर तैनाती दिलाई गयी है।

6. श्री विजय पुष्कर जी प्रवक्ता, रिडर, प्रोफेसर के पद पर सन् 2006 में राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल लखनऊ में तथा ज्वाइण्ट डायरेक्टर एजुकेशन होम्योपैथी निदेशालय लखनऊ में तैनाती से लेकर अब तक लगभग 14 (चौदह) वर्ष पूरे कर लिये हैं, जबकि श्री विजय पुष्कर जी का गृह जनपद भी लखनऊ ही है। ऐसे में शासन की आंखों में धूल झोंक कर श्री विजय पुष्कर जी अपनी मनमानी करते हुए भ्रष्टाचारी पूर्व निदेशक होम्योपैथी प्रो0 वी0के0 विमल जी द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु बनाई गयी चयन समिति में स्थाई मेम्बर अनुसूचित जाति होते हुए अपने पुत्र अश्वनी की नियुक्ति संविदा रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पद पर कानपुर में करवाई है। अपने गृह जनपद में ऐसे अहम जिम्मेदार पद पर होकर मनमानी करना व आये दिन अपने कर्मचारियों को डरा–धमका कर हर तरह से शोषण किया जा रहा है, जो इनके डर से, भय से कोई भी कर्मचारी अपना मुंह खोलने में विवश है, जो अति गम्भीर विषय एवं निन्दनीय है।

ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दिये जा रहे शिकायती पत्र में वर्णित अंकित तथ्यों एवं शब्दों का गम्भीरतापूर्वक संज्ञान लेकर श्री विजय पुष्कर जी की नियुक्ति से लेकर अब तक की समस्त बिन्दुओं का अवलोकन कर जांच कर कार्यवाही किया जाना मा0 उच्च न्यायालय एवं जनहित में है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे द्वारा किये जा रहे शिकायती पत्र का सहानुभूतिपूर्वक अवलोकन कर अंकित तथ्यों, शब्दों का संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष कमेटी बनाकर जांच कराते हुए सुसंगत कार्यवाही करने की कृपा करें।

शिकायतकर्ता,

दिनांकः– 16/06/2020

सम्पर्क सूत्र : 7380301158

प्रतिलिपिः–

1. मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. आयुष मंत्रालय भारत सरकार।
3. महामहिम राज्यपाल महोदय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मा0 मुख्यमंत्री महोदय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद, नई दिल्ली।

CRIME INFORMATION BUREAU OF INDIA, CIB INDIA, National Head (R.T.I.), MAU ROAD SIDHARI, AZAMGARH

शिकायतकर्ता,

दिनांकः– 16/06/2020

संलग्नक – विजय पुष्कर के गृह जनपद - साक्ष्य।
(2) विगत वर्ष सी०सी० ल्यान्‍को० भेजी गयी सूची।

सम्पर्क सूत्र : 7380301158

संख्या—2820/71—4—2006—144/2006

प्रेषक,

हरिकान्त त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक: 10, जनवरी, 2007

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—4

विषय:— प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत प्रवक्ताओं की विभागवार वरिष्ठता सूची निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत प्रवक्ताओं की विभागवार वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने के सम्बन्ध में प्रवक्ताओं की विभागवार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने महाविद्यालय से सबंधित समस्त प्रवक्ताओं को अविलम्ब अनन्तिम विभागवार वरिष्ठता सूची उन्हें उपलब्ध करा कर उनसे आपत्तियां प्राप्त कर, प्राप्त आपत्तियों को संकलित रूप से 15 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध करायें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(हरिकान्त त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या— (1)/71—4—06—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, होम्योपैथी को उनके पत्र संख्या—नि0हो0/134/96/155 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(... ...)
... सचिव

		6	डा0 उदयवीर सिंह	मथुरा	1.11.52	15.9.93	आयोग द्वारा चयनित
		7	डा0 शैलेन्द्र सिंह	हमीरपुर	9.7.59	16.5.95 •	आयोग द्वारा चयनित
		8	डा0 राम सहायी	गोरखपुर	23.11.63	4.4.2006 •	आयोग द्वारा चयनित
		9	डा0 रघुराज यादव	आजमगढ़	1.1.60	8.2.2006 •	आयोग द्वारा चयनित
		10	डा0 महेश कुमार यादव	औरैया	5.7.64	5.4.2006 •	आयोग द्वारा चयनित
		11	डा0 योगेन्द्र सिंह नाहर	बुलन्दशहर	20.6.68	3.4.2006 •	आयोग द्वारा चयनित
		12	डा0 सुभाष चन्द्र .	जौनपुर	1.10.64	अप्राप्त •	आयोग द्वारा चयनित
(7)	सर्जरी	1	डा0 सुरेश चन्द्र शर्मा	[illegible]	[illegible].48	1.11.76	6.12.86
		2	डा0 पी0एन0 राय	[illegible]पुर	[illegible].55	20.2.80	14.5.91
		3	डा0एस0एन0 मिश्रा	[illegible]	15.1.53	23.12.93	आयोग द्वारा चयनित
		4	डा0 मुनीर अहमद	[illegible]	30.6.61	10.2.2006 •	आयोग द्वारा चयनित
		5	डा0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह	[illegible]	15.5.58	19.9.2005 •	आयोग द्वारा चयनित
(8)	[illegible] एवं [illegible]	1	डा0 शैलेन्द्र कुमार सिंह	[illegible]पुर	[illegible].7.56	1.2.77	6.12.86
		2	डा0 [illegible] सिंह	[illegible]	[illegible].49	[illegible].77	6.12.86
		3	डा0 टी0एन0 सिंह	[illegible]	[illegible].53	[illegible].80	14.5.91
		4	डा0 रेनु महेन्द्रा	[illegible]पुर	15.5.56	7.11.2000	आयोग द्वारा चयनित
(9)	एस0पी0एम0 [illegible]	1	डा0 अनिल कुमार सिंह	[illegible]	[illegible].7.65	14.10.2005 •	आयोग द्वारा चयनित
		2	डा0नदीम अहमद खॉ	[illegible]	[illegible].3.61	16.9.2005	आयोग द्वारा चयनित
		3	डा0 विजय कुमार पुष्कर	[illegible]	4.2.69	14.10.2005	आयोग द्वारा चयनित
		4	डा0 प्यारे लाल	[illegible]पुर	12.8.62	19.9.2005 •	आयोग द्वारा चयनित
		5	डा0 रमाशंकर यादव	[illegible]	4.2.68	21.9.2005	आयोग द्वारा चयनित
(10)	एफ0एम0टी0	1	डा0आर.[illegible]	[illegible] बिहार	[illegible].10.52	1.3.77	30.7.97
(11)	[illegible]	1	डा0[illegible]	[illegible]	[illegible].48	[illegible]75	6.12.86

महत्वपूर्ण/शीर्षप्राथमिकता

संख्या-अ०-13 /96-आयुष-2-2020-6(बी)/2018

प्रेषक,

के0बी0एस0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ दिनॉक 11 ~~जुलाई,~~ अगस्त 2020

विषयः विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजेन्द्र प्रताप सिंह मोती सिंह, के पत्र दिनांक 25.02.2020 की छायाप्रति मयसंलग्नक प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निंदेश हुआ है कि संलग्न पत्र में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपनी सुष्पट आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय,

(के0बी0एस0सिंह)
अनु सचिव।

सं०= मं०=13/96-आयुष-2-2020.

राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह'
मंत्री
ग्राम्य विकास विभाग एवं
समग्र ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश।

73- ए, विधान भवन, लखनऊ
: 0522-2239251 (का0)
: 0522-2213279 (का0)
: 0522-2239251 (फै0)
: 0522-2237079 (आ0)

पत्रांक वीआईपी 1388 /मंत्री/ग्रा0वि0/2020
दिनांक- 06 / 03 /2020
दिनांक : ....

976/PS(आयुष)/20
US(4)

11/03/2020
(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव
आयुष विभाग

2836/US(RKY)/20
DS(LS)

12-03-2020
(राज कमल यादव)
विशेष सचिव
आयुष विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

SO-A.2
12-3-2020

<u>प्रमुख सचिव, आयुष विभाग</u>

मेरे विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत स्थानीय जनमानस की चिकित्सीय सुविधाओं हेतु राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय का अपेक्षाकृत काफी अभाव है। उक्त के द्रष्टिगत मेरे द्वारा विगत दिनो अपने क्षेत्र के विकासखण्ड बाबा बेलखरनाथ के ग्राम पूरेबेदुवा तथा ग्राम गहबरा में कमशः 01–01 होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना की माँग की गयी थी जिसके कम में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के स्तर से प्रधान मंत्री जन विकास कार्यकम के अन्तर्गत जिलास्तरीय समिति से उक्त दोनो स्थानो पर कमशः 01–01 होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृति के पश्चात राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनार्थ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रेषित किया गया है। उक्त होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग की सहमति आवश्यक है। ज्ञात हुआ है कि दिनाँक 31–01–2020 को राज्य स्तरीय समिति की आयोजित बैठक में प्रशासकीय विभाग की सहमति के अभाव में उक्त होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत नही हो सका है जबकि जन मानस की चिकित्सीय समस्याओं के द्रष्टिगत उपरोक्त दोनो स्थानो पर होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना होना अति आवश्यक है । उक्त हेतु दोनो स्थानो पर पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है ।

मै आभारी होऊंगा कि कृपया मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की चिकित्सीय परेशानियों के द्रष्टिगत विकासखण्ड बाबा बेलखरनाथ के ग्राम पूरेबेदुवा तथा ग्राम गहबरा में कमशः 01–01 होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु अपनी सहमति प्रदान करने तथा सहमति उपरान्त मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

25–02–2020
(राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह')
मंत्री,
ग्राम्य विकास विभाग एवं
समग्र ग्राम विकास,
उत्तर प्रदेश।

श्री ... 12/3/2020

आज प्राप्त
29-5-2020